न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या: 99 / 2025
निर्णय दिनांक : 18.07.2025
दायर दिनांक : 16.06.2025
जीसीएमएस नम्बर : 2025 / 172

1. मोहनलाल पुत्र स्व0 जालूराम जाति जाट निवासी ग्राम खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :–

1. प्रार्थी के अधिवक्ता श्री राजकुमार चायल उपस्थित।
2. अप्रार्थी पेरोकार राज उपस्थित।

–:निर्णय:–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते रिकॉर्ड संशोधन प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी ग्राम खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू का निवासी है। रोही खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ में खाता संख्या नया 130 के खसरा संख्या 282 तादादी 5.3994 है0, खसरा संख्या 616 / 151 तादादी 0.0885 है0, खसरा नम्बर 619 / 153 तादादी 0.5816 है0 कुल किता 3 तादादी कुल 6.0695 है0 प्रार्थी की खातेदारी में 7 / 30 हिस्सा एवं खाता संख्या 53 [illegible] खसरा नम्बर 152 तादादी 0.0632 है0 हिस्सा 1 / 15 प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज स्थित है। प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में मोहनराम पुत्र जालूराम दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम मोहनलाल पुत्र जालूराम है प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड, परिवार राशनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम मोहनलाल अंकित है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम दुरस्त करवाना प्रार्थी के लिए आवश्यक है।

प्रार्थी का खेत रोही खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दस्तोवजों आधारकार्ड, पैन कार्ड, राशनकार्ड में नाम मोहनलाल अंकित है। अतः तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मोहनराम की बजाय मोहनलाल दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में प्रार्थी का नाम मोहनलाल अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही रोही खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ में खाता संख्या नया 130 के खसरा संख्या 282 तादादी 5.3994 है0, खसरा संख्या 616 / 151 तादादी 0.0885 है0, खसरा नम्बर 619 / 153 तादादी 0.5816 है0 कुल किता 3 तादादी कुल 6.0695 है0एवं खाता संख्या 53 के खसरा नम्बर 152 तादादी 0.0632 है0 में दर्ज खातेदार का नाम मोहनराम के स्थान पर मोहनलाल दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को टंकित करवाया जाकर पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान गुलेरिया में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला–चूरू

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़